## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 901/2021

अनवान : –

1. पतराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. सुन्दर पत्नी गोमन्दराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. हरिसिंह
3. जुगलाल
4. रूपराम
5. मेहनलाल
6. प्रमेश्वरी
7. कृष्णा देवी

(2 से 7) पुत्र व पुत्रीयान गोमन्दराम जाति जाट निासी जोजासर तहसील नोहर।

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

9. खिराजराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।

**–तरतीबी प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक:

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता खसरा न0 11 की 29.03 बीघा, ख0न0 29 की 28 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 52 की 11.08 बीघा ख0न0 95 की 21.19 बीघा कुल 91.02 बीघा भूमि स्थित है। जिसके पूर्व मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे जिन्होने आपसी सहमति से उक्त वाद भूमि का खाता विभाजन करवा लिया। बाद खाता तकसीम रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/3 की 10.15 बीघा, ख0न0 11/3 की 8.13 बीघा, ख0न0 95/1 की 10.19 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हिस्से में तथा रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 11/2 की 12. 10 बीघा, ख0न0 95/2 की 11 बीघा भूमि वादी के हिस्से में तथा रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/1 की 11 बीघा ख0न0 11/1 की 8 बीघा ख0न0 52 की 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के हिस्से में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि का खाता तकसीम [illegible] के आधार पर किया गया था एवं मुताबिक खाता तकसीम के अनुसार वादग्रस्त भूमि का नजरी नक्शा का विभाजन भी मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता तकसीम के अनुसार कर दिया गया था तथा वादग्रस्त भूमि मुताबिक खाता तकसीम के अनुसार जमाबंदी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता के नाम अलग अलग दर्ज हो चुकी है एवं पक्षकारान मुताबिक विभाजन ही वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है तथा खाता तकसीम के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 काबिज है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 के नाम अलग अलग जमाबंदी में दर्ज है एवं वादग्रस्त भूमि का खाता तकसीम होने बाद एवं नजरी नक्शा अलग अलग दर्ज होने के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि नहर निकल चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि में से नहर निकलने के कारण जो पूर्व नजरी नक्शा में परिवर्तित कर दिया गया तथा ख0न0 29/3 की कृषि भूमि की जगह 29/4 एवं 11/4 दर्ज कर दिया गया तथा पूर्व खाता तकसीम के अनुसार जो नक्शा तकसीम हुआ था उसके बाद नहर आने पर उसमें परिवर्तन कर दिया गया जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की वादग्रस्त कृषि भूमि की भौतिक स्थिति मे परितर्वतन कर दिया गया इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान नजरी नक्शा में खाता विभाजन के अनुसार पूर्व नजरी नक्शा के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का नक्शा तकसीम करवाकर संशोधन करवा पाने का अधिकारी है। इसलिए वादी रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/4 की 1.6060 हैक्ट एवं ख0न0 11/4 की 2.588 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पास ख0न0 11/3 की 0.5060 हैक्ट भूमि ख0न0 11/5 की 1.3790 हैक्ट भूमि रहेगी। शेष खसरा नम्बर यथावत रहेंगे। इसी अनुसार नजरी नक्शा संशोधित करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाया दावा है।

रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/4 की 1.6060 एवं ख0न0 11/4 की 2.588 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा एवं ख0न0 29/3 की 2.3390 हैक्ट भूमि ख0न0 29/5 की 0.2530 हैक्ट खसरा न0 11/3 की 0.5060 हैक्ट भूमि ख0न0 11/5 की 1.3790 भूमि के प्रतिवादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे। इसी अनुसार नजरी नक्शा संशोधित करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद [illegible] 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा जोजासर खाता संख्या 42/35, 22/19 सम्वत 2074–77 प्रदर्श–1 ता 1, नामान्तरण संख्या 95 रोही मौजा जोजासर प्रदर्श–3, असल प्रति राजीनामा प्रदर्श–4, नजरी नक्शा रोही मौजा जोजासर, मृत्यु प्रमाण पत्र गोमदराम आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का खाता तकसीम होने बाद एवं नजरी नक्शा अलग अलग दर्ज होने के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि नहर निकल चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि में से नहर निकलने के कारण जो पूर्व नजरी नक्शा में परिवर्तित कर दिया गया तथा ख0न0 29/3 की कृषि भूमि की जगह 29/4 एवं 11/4 दर्ज कर दिया गया तथा पूर्व खाता तकसीम के अनुसार जो नक्शा तकसीम हुआ था उसके बाद नहर आने पर उसमें परिवर्तन कर दिया गया जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की वादग्रस्त कृषि भूमि की भौतिक स्थिति मे परितर्वतन कर दिया गया इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान नजरी नक्शा में खाता विभाजन के अनुसार पूर्व नजरी नक्शा के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का नक्शा तकसीम करवाकर संशोधन करवा पाने का अधिकारी है। इसलिए वादी रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/4 की 1.6060 हैक्ट एवं ख0न0 11/4 की 2.588 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पास ख0न0 11/3 की 0.5060 हैक्ट भूमि ख0न0 11/5 की 1. 3790 हैक्ट भूमि रहेगी। शेष खसरा नम्बर यथावत रहेंगे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श– 3 नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलीपी एवं वर्तमान नक्शा एवं जमाबदी के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि उक्त नामान्तरण के मुताबिक तरमीम दर्ज नही हुई है। वादी नामान्तरण संख्या 95 रोही मौजा जोजासर के मुताबिक नक्शा तरमीम करवाना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–4 असल राजीनामा के मुताबिक रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/4 की 1.6060 हैक्ट ख0न0 11/4 की 2.858 हैक्ट वादी के नाम एवं रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/3 की 2.3390 हैक्ट ख0न0 29/5 की 0.2530 हैक्ट, ख0न0 11/3 की 0.5060 हैक्ट, ख0न0 11/5 की 1.3790 हैक्ट भूमि मृतक गोमन्दराम के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी [illegible] 1/1 से 1/7 के नाम रहेगी। शेष खसरा नम्बर यथावत रहेगे। उक्तानुसार [illegible] में दर्ज किया जाता है तो हम पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष/राजीनामा स्वीकार योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/4 की 1.6060 हैक्ट ख0न0 11/4 की 2.858 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/3 की 2.3390 हैक्ट, ख0न0 29/5 की 0.2530 हैक्ट, ख0न0 11/3 की 0.506 हैक्ट, ख0न0 11/5 की 1.3790 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/7 के को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 2/11/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

## पर्चा डिक्री

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 901/2021

अनवान : –

1. पतराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. सुन्दर पत्नी गोमन्दराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. हरिसिंह
3. जुगलाल
4. रूपराम
5. मेहनलाल
6. प्रमेश्वरी
7. कृष्णा देवी

(2 से 7) पुत्र व पुत्रीयान गोमन्दराम जाति जाट निासी जोजासर तहसील नोहर।

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

9. खिराजराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।

**–तरतीबी प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 901 सन 2021 निर्णय दिनांक** 27/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/4 की 1.6060 हैक्ट ख0न0 11/4 की 2.858 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख0न0 29/3 की 2.3390 हैक्ट, ख0न0 29/5 की 0.2530 हैक्ट, ख0न0 11/3 की 0.506 हैक्ट, ख0न0 11/5 की 1.3790 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/7 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested